|| NAMO TITTHASSA ||

GACCHADHIPATI (SPIRITUAL SOVEREIGN)
JAINACHARYA SHRIMADVIJAY
YUGBHUSHANSURI
(PANDIT MAHARAJ SAHEB)

[मूल गुजराती पत्र का अनुवाद]
वि.सं. 2077, संवत्सरी महापर्व
दि.: 10 सितंबर 2021
बोरीवली (पश्चिम), मुम्बई
Ref No. : 202109ग-०३

सकल श्रीसंघ की जानकारी हेतु ज्ञापन

विषय : श्री शत्रुंजय तीर्थ संबंधित 19 अगस्त 2021 को गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का समीक्षात्मक एवं तटस्थ विश्लेषण

भाग - 1

विश्व के पवित्रतम महातीर्थ के रूप में गरिमा धारण करने वाला श्री शत्रुंजय महातीर्थ जैनों का सर्वश्रेष्ठ श्रद्धास्थान, उपासनास्थान है । प्रत्येक जैन की यह हार्दिक भावना होती है कि इस तीर्थ की सुरक्षा, पवित्रता आदि अखंडित रूप से बरकरार रहे और इसकी सुरक्षा, पवित्रता बरकरार रखना प्रत्येक जैन का कर्तव्य है । फिर भी उसके पूर्ण रूप से अदा होने में कलिकाल अनेक बाधाएँ खडी कर रहा है ।

उनमें से एक बाधा के संबंध में गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा दि.: 19 अगस्त 2021 को दिए गए फैसले ने श्रद्धालु वर्ग में एक प्रकार की हलचल पैदा की है । वर्तमान में श्री सिद्धाचल गिरिराज पर सूरजकुंड के पास स्थित तथाकथित नीलकंठ महादेव मंदिर के किसी मुद्दे पर विश्व हिन्दू परिषद् द्वारा पालीतणा कलेक्टर आदि के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था । उसमें शत्रुंजय महातीर्थ का प्रबंधन करने वाली सेठ आणंदजी कल्याणजी पेढ़ी बाद में पक्षकार के रूप में शामिल हुई थी । विश्व हिंदू परिषद् आदि अन्य पक्षकारों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर पेढ़ी ने उच्च न्यायालय में बयान-दलीलें पेश करने का प्रयत्न किया था । उन सभी के आधार पर उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया फैसला लोगों में चर्चा का विषय बना है । ऐसे में, पेढ़ी द्वारा अदालत में दर्ज काऊंटर एफिडेविट, अदालत द्वारा दिए गए फैसले एवं उसमें चर्चित ऐतिहासिक मुद्दों का सारग्राही विश्लेषण कर श्री संघ के सामने रखना धर्माचार्य के तौर पर मेरा कर्तव्य है । क्यूंकि इस फैसले का सोशल मीडिया एवं प्रिंट मीडिया में काफी प्रचार किया गया है । इसलिए कई लोगों द्वारा मेरे अभिप्राय के बारे में पूछताछ की जा रही है । अत: सकल श्रीसंघ को तथ्यों की सही जानकारी देने उपरोक्त तीनों बिंदुओं से शासन-तीर्थ आदि को होने वाले संभावित लाभ एवं नुकसान का निर्देश करना आवश्यक है।

Education Book Centre, 133, Gala Complex, Din Dayal Upadhyay Road, Mulund (W), Mumbai 80, India
Whatsapp No.: +91 99300 11400 | Email: info@jyot.in

इस मामले में पेढ़ी के प्रयत्न एवं प्राप्त किये अदालत के निर्णय के लाभदायी नतीजें

सब से पहले तो इस बात की खुशी है कि श्री मोहजित समुदाय की ओर से मेरे द्वारा दि.: 17 दिसंबर 2020 को जारी किए गए सार्वजनिक ज्ञापन का सकारात्मक असर पेढ़ी के बर्ताव पर दिखाई दे रहा है । प्रस्तुत मुकदमे में पेढ़ी को सीधे रूप से शामिल नहीं किए जाने पर भी फिलहाल पेढ़ी ने सक्रिय बनकर फैसला हासिल किया जो, तीर्थरक्षा के प्रति जागृति कही जा सकती है । श्री शत्रुंजय एवं अन्य सभी तीर्थों के विषय में पेढ़ी पूरी तरह से सक्रिय रहे ऐसी आशा रखना अप्रासंगिक नहीं गिना जाएगा ।

दूसरी बात । पेढ़ी की ओर से उपरोक्त मुकदमा लडने के लिए वरिष्ठ वकील मिहिरभाई जोशी को नियुक्त किया गया था । शत्रुंजय तीर्थ संबंधित कानूनी विचार-विमर्श करने पहली बार वे सन् 2017 में अहमदाबाद में हम से मिलने आए थे । उसके बाद उसी वर्ष कांदीवली, मुम्बई में भी आए । उनके साथ हुई अनेक चर्चाओं में मैं ने एक ऐसी भी बात कही कि 'अंग्रेज़ों ने भी पूरे शत्रुंजय पहाड पर जैनों के चले आ रहे धार्मिक अधिकार मान्य किए है । क्या हम अदालत में ऐसा साबित कर सकते है कि वे अधिकार आज भी बरकरार है ?' तब जोशीजी चौंके । उन्होंने पूछा कि क्या आपके पास इसका कोई दस्तावेज़ है ? मैं ने कहा – 'हाँ, है ।' वह दस्तावेज़ उन्हें दिया गया। जिसे पढ़कर उन्होंने काफी आश्चर्य व्यक्त किया । उसके बाद प्रस्तुत मामले में मिहिरभाई ने इस ठोस मुद्दे के बल पर केस लडकर उच्च न्यायालय से उपरोक्त निर्णय प्राप्त किया । यह भी एक काफी संतोषप्रद घटना है । विशेषज्ञ वरिष्ठ वकील को भी यदि मामला सही ढ़ंग से समझाया जाएँ तो काफी अच्छा परिणाम आ सकता है – ऐसे अनुभवों में यह एक और बढ़ोतरी हुई है ।

तीसरी बात । उपरोक्त फैसले में अदालत ने कुछ बातों को जिस प्रकार मान्यता दी है वह हमारे तीर्थों के लिए फायदेमंद है जिसके लिए उपरोक्त फैसला वाकई बधाई के योग्य है ।

फैसले के अनुच्छेद नं. 51 में संपूर्ण शत्रुंजय गिरिराज की पूज्यता एवं पवित्रता स्वीकार की गई है । उस पवित्रता को शास्त्र के अनुसार बरकरार रखने का जैन संघ का धार्मिक अधिकार भी मान्य किया गया है, जो कानूनी दृष्टिकोण से जैन संघ के लिए उल्लेखनीय उपलब्धि है ।

इसी प्रकार फैसले के अनुच्छेद नं. 28 में मुगलकाल में दिए गए तीर्थरक्षा संबंधी फरमानों की चर्चा की गई है। उसमें उच्च न्यायालय ने इन दोनों बातों का ऐतिहासिक तथ्य के रूप में स्वीकार किया है कि – (1) वे प्राचीन फरमान प्रामाणिक है और (2) मुगलकाल में भी जैन संघ के पास तीर्थों के सर्वाधिकारों की राजमान्यता प्राप्त थी ।

Education Book Centre, 133, Gala Complex, Din Dayal Upadhyay Road, Mulund (W), Mumbai 80, Ind
Whatsapp No.: +91 99300 11400 | Email: info@jyot.in

प्रबंधन के मुद्दे पर फैसला देते हुए अनुच्छेद नं. 51 में बताया गया है कि, नीलकंठ महादेव मंदिर में महंत और पूजारी होने का दावा करने वाले कालु भारती की नियुक्ति रद्द की जाती है । यह निर्णय भी प्रबंधकीय सरलता में सहायक होगा ।

अब भरतभाई राठोड द्वारा दायर याचिका के जवाब में आणंदजी कल्याणजी पेढ़ी द्वारा उच्च न्यायालय में जो एफिडेविट दायर किया गया है उसके कुछ मुद्दें विचारणीय हैं, जिसका तटस्थ समीक्षात्मक अवलोकन करते हैं ।

(1) सेठ आणंदजी कल्याणजी पेढ़ी द्वारा उच्च न्यायालय में पेश किए गए काऊंटर एफिडेविट और मौखिक बयानों की तटस्थ समीक्षा

एफिडेविट के अनुच्छेद नं. 12.5 और 12.6 में पेढ़ी यह कहती है कि, ऋषभदेव भगवान साधना करने एवं अन्य 22 तीर्थंकर कर्मक्षय करने शत्रुंजय पर आए थे !!!

जैन शास्त्रकार स्पष्ट रूप से कहते हैं कि केवलज्ञान प्राप्त होने पर तीर्थंकर कृतकृत्य बनते हैं । उन्हें कर्मक्षय करने के लिए तीर्थयात्रा आदि धर्मप्रवृत्तियाँ करने की आवश्यकता नहीं होती । उलटा, यदि वे चाहे तो केवलज्ञान के बाद पलभर में सारे कर्म क्षय करने में समर्थ है, लेकिन कल्याणमार्ग के प्रवर्तन आदि अनेक कारणों से वे सहज रूप से उदय में आने वाले कर्मों को भोगते रहते हैं जिसे शास्त्रीय परिभाषा में 'सहज सांसिद्धिक योग' कहा जाता है । इस प्रकार की अत्यंत उच्च कक्षा के योग में रहने वाले तीर्थंकरों के लिए *'साधना करने... कर्मक्षय करने आए थे'* ऐसा कहना शास्त्र विरुद्ध तो है ही, साथ ही तीर्थंकरों का भारी अवमूल्यन रूप है । और तो और, तीर्थंकरों की पवित्रता गर्भावतार से इतनी ऊँची होती है कि जहां उनका च्यवन हो, जहां जन्म हो, अरे ! वे जहां खडे रहे, वे जहां विचरण करे उन क्षेत्रों को भी तीर्थ का दर्ज़ा प्राप्त होता है । जैनशासन में जिन तीर्थों को उत्कृष्ट कक्षा में स्थान दिया जाता है वे कल्याणकभूमि आदि तीर्थ स्वयं तीर्थंकरों का सर्जन है । इस दृष्टिकोण से भी उन्हें तीर्थंकर कहा जाता है । उनके लिए *'कर्मक्षय करने शत्रुंजय पर आए थे'* – ऐसा कहना भी उनकी आशातना है ।

दूसरी बात । तीर्थंकर गृहस्थ अवस्था से ही शुभभाव करने हेतु शुभ द्रव्य, क्षेत्र, काल का आलंबन (सहारा) नहीं लेते । बल्कि किसी भी द्रव्य, क्षेत्र, काल में स्वयं के बल पर शुभभाव को धारण करते है । अत: *'वे साधना हेतु तीर्थभूमि पर आएँ थे'* – ऐसा कहना उनके गृहस्थ जीवन के व्यक्तित्व की भी अवगणना करने जैसा है ।

पूज्य कलिकालसर्वज्ञ आचार्यश्री हेमचंद्रसूरीश्वरजी महाराजा ने ऋषभदेव भगवान के बारे में स्पष्ट शब्दों में कहा है कि –

कृतकृत्यः स्वयं ह्येष, भगवानपरानपि ।
कृतकृत्यान् जनान् कर्तुं, पूर्वलक्षमवास्थितः ।।513।।

Education Book Centre, 133, Gala Complex, Din Dayal Upadhyay Road, Mulund (W), Mumbai 80, Ind
Whatsapp No.: +91 99300 11400 | Email: info@jyot.in

स्वयं कृतकृत्य भगवान अन्य जीवों को भी कृतकृत्य करने हेतु 1 लाख पूर्व तक (इस पृथ्वी पर) रहे ।

प्रतिवर्ष पर्युषण महापर्व में श्रवण किए जाने वाले महापवित्र कल्पसूत्र भी यही कहता है कि;

'देवेन्द्र ! कदाऽप्येतन्न भूतं, न भवति, न भविष्यति च, यत् कस्यचिद्देवेन्द्रस्य असुरेन्द्रस्य वा साहाय्येन तीर्थङ्कराः केवलज्ञानम् उत्पादयन्ति, किन्तु स्वपराक्रमेणैव केवलज्ञानम् उत्पादयन्ति...'

याने भगवान महावीर स्वयं कह रहे है कि 'हे इन्द्र ! कभी ऐसा हुआ नहीं है, होता नहीं है और होगा भी नहीं कि तीर्थंकर देवेन्द्र आदि किसी की सहायता से केवलज्ञान प्राप्त करते हो, किन्तु स्वयं के पराक्रम से ही केवलज्ञान प्राप्त करते हैं ।' यहां भगवान ने 'ही' पर जो भार दिया है उसे गौर से समझने की ज़रुरत है ।

दस पूर्वधर श्री उमास्वातिजी महाराजा भी तत्त्वार्थसूत्र की संबंधकारिका में तीर्थंकर भगवंत का लाक्षणिक परिचय देते हुए लिखते है कि,

सम्यक्त्वज्ञानचारित्रसंवरतपःसमाधिबलयुक्तः ।
मोहादीनि निहत्याशुभानि चत्वारि कर्माणि ।।

केवलमधिगम्य विभुः, स्वयमेव ज्ञानदर्शनमनन्तम् ।
लोकहिताय कृतार्थोऽपि, देशयामास तीर्थमिदम् ।।

याने सम्यक्त्व आदि बल से युक्त प्रभु मोह आदि चार अशुभ कर्मों का नाश करके स्वयं ही केवलज्ञान-केवलदर्शन प्राप्त करके स्वयं कृतार्थ होने पर भी लोकहित के लिए इस तीर्थ की स्थापना करते है ।

यहां उमास्वातिजी महाराज द्वारा प्रयुक्त 'स्वयमेव' शब्द का अर्थ करते हुए टीकाकार भगवंत ने भी काफी अच्छा स्पष्टीकरण किया है -

स्वयमेव – स्वशक्त्यैव
स्वयमेव – स्वशक्त्यैव, न राजेव सामन्तादिमिश्रः
स्वयमेव – स्वशक्त्या, नेश्वरादिसामर्थ्येन

याने तीर्थंकर स्वयं की शक्ति से ही, जैसे राजा सामंत आदि की सहायता से प्राप्त करे वैसे नहीं, ईश्वर आदि अन्य तारक तत्त्वों के सामर्थ्य से नहीं, मात्र स्वशक्ति से ही केवलज्ञान प्राप्त करते है ।

अरे ! प्रसिद्ध स्तवनों की पंक्ति याद करते हैं ।

Education Book Centre, 133, Gala Complex, Din Dayal Upadhyay Road, Mulund (W), Mumbai 80, Ind
Whatsapp No.: +91 99300 11400 | Email: info@jyot.in

तुम चरणे पावन कर्युं रे, पूर्व नव्वाणुं वार,
तेणे तीरथ समरथ थयुं रे, करवा जगत उद्धार. ऋषभजिन ! तुं त्रिभुवन सुखकार.

ज्ञानविमलसूरिजी महाराजा कहते है कि, प्रभु के चरणों से यह तीर्थ पावन बना है और इसलिए शत्रुंजय तीर्थ जगत का उद्धार करने अधिक समर्थ बना है । अर्थात् भगवान के आगमन से तीर्थ की पवित्रता में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है । (ना कि भगवान की पवित्रता में बढ़ोतरी हुई है ।)

उसी प्रकार

'पूर्व नव्वाणुं वार पधारी पवित्र कर्युं शुभ धाम.'

पूज्य उपाध्यायजी भगवंत भी सिद्धाचल मंडन आदिनाथ भगवान के स्तवन में कहते है कि आदिनाथ भगवान ने 99 पूर्व बार पधारकर शुभ धाम को पवित्र किया है ।

शत्रुंजय माहात्म्य महाग्रंथ में धनेश्वरसूरि महाराजा स्पष्ट रूप से कहते है कि –

तीर्थं पर्वत एवायं, पवित्रस्तीर्थकृत्क्रमैः ।

यह पर्वत ही तीर्थ है जो तीर्थंकरों के चरणों से (अधिक) पवित्र बना है ।

उपरोक्त शास्त्र संदर्भों से ऐसा स्पष्ट होता है कि तीर्थंकरों से यह तीर्थ पावन बना है । अथवा उनके आगमन से भव्य जीवों को अनंत लाभ होगा - ऐसा जानकर वे यहां पधारे है ।

अरे ! प्रस्तुत फैसले के अनुच्छेद नं. 26 में भावनगर ज़िला कलेक्टर का एक कानूनी दस्तावेज़ का उल्लेख किया गया है । जिसमें कलेक्टर भी लिखते है कि शत्रुंजय गिरिराज पर 23 तीर्थंकरों ने आकर तीर्थ पवित्र किया था।

इसी फैसले के अनुच्छेद नं. 23 में खुद न्यायाधीश भी स्पष्ट कहते है कि शत्रुंजय माहात्म्य ग्रंथ के अनुसार आदिनाथ भगवान ने गिरिराज पर पधारकर गिरिराज को पवित्र किया था ।

फिर भी खुद को जैन संघ की प्रतिनिधि बताती पेढ़ी अदालत में ऐसे बयान दे रही है कि *'तीर्थंकर साधना करने, कर्मक्षय करने शत्रुंजय पर पधारे थे ।'* इसका सीधा अर्थ यह निकलता है कि वे स्वयं पवित्र होने यहां आएं थे । अदालत में हमारे खुद के मुँह से ही हमारे तीर्थंकरों का अवमूल्यन यदि हम ही करते रहेंगे तो अन्यों द्वारा खुलेआम किए जाने वाले अवमूल्यन को किस तरह रोक पाएँगे ? क्या जैन संघ के नेतृत्व को इस बात पर गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत नहीं लगती ?

Education Book Centre, 133, Gala Complex, Din Dayal Upadhyay Road, Mulund (W), Mumbai 80, Ind
Whatsapp No.: +91 99300 11400 | Email: info@jyot.in

(2) पेढ़ी द्वारा दायर एफिडेविट के अनुच्छेद नं. 14 में लिखा गया है कि शत्रुंजय तीर्थ पर सोमपुरा, पूजारी, अन्य कर्मचारियों के लिए अजैन मंदिर बनाए गए है । अनुच्छेद नं. 14.1 में तो यहां तक लिख दिया गया है कि लगभग सभी जैन तीर्थों में जैनों ने खुद के खर्च से कर्मचारियों के लिए अजैन मंदिर बनवाए है । और तो और अनुच्छेद नं. 17 में पेढ़ी ने स्वीकार ही कर लिया है कि नीलकंठ महादेव मंदिर में नियमित रूप से पूजा आदि करने वालों के विधि-विधानों के लिए सभी प्रकार की सामग्री आणंदजी कल्याणजी पेढ़ी उपलब्ध कराती है ।

इसके अलावा पेढ़ी ने अदालत में जो मौखिक बयान दिया था, उसका उल्लेख करते हुए फैसले के अनुच्छेद नं. 12 में कहा गया है कि अजैन कर्मचारियों के लिए जैनों ने तीर्थ पर अजैन मंदिर बनवाए थे ।

यहाँ आणंदजी कल्याणजी पेढ़ी ने जैन संघ की ओर से ऐसी बात स्वीकार कर ली है कि हमारे तीर्थों पर अन्य धर्म के मंदिर आदि का होना कोई गलत बात नहीं है, वह हमारी परंपरा से विरुद्ध भी नहीं है, उलटा हमारे तीर्थों में अजैन कर्मचारियों की आड में अजैन मंदिरों का होना, जैनों के खर्च से उनका निर्माण, मरम्मत, रखरखाव होना हमारी परंपरा है और आगे बढ़कर ऐसी पद्धति मात्र शत्रुंजय महातीर्थ की है ऐसा नहीं, बल्कि जैनों के लगभग सभी तीर्थों में ऐसी पद्धति है ।

साथ में ऐसा अभिगम दर्शा दिया है कि शिवपंथियों को पूजा आदि के लिए सामग्री हम उपलब्ध कराते है । याने भविष्य में भी पेढ़ी का ही बयान ऐसी प्रवृत्तियाँ करने के लिए बाध्य कर सकता है जो, हमें अमान्य द्रव्य या सामग्री उपलब्ध कराने के मतभेद का बीज बन सकती है ।

इतना कम हो तो पुरानी बडी भूल के नुकसान को रोकने के लिए पेढ़ी द्वारा दिया गया मौखिक बयान, जिसका उल्लेख फैसले के अनुच्छेद नं. 11 में किया गया है । उसमें कहा गया है कि 'सेठ आणंदजी कल्याणजी पेढ़ी के पास अजैन मंदिरों के भी नीति-नियम बनाने का अधिकार भले हो लेकिन पेढ़ी द्वारा उनकी आवश्यक एवं उचित पूजा आदि प्रवृत्तियों में ज़रा सी भी दखलंदाज़ी हो वैसे नियम नहीं बनने चाहिए !!!' याने उनकी उपरोक्त गतिविधियों में बाधा उत्पन्न न हो उसके लिए हमारे अधिकार, हमारी मर्यादाओं, हमारी शास्त्राज्ञाओं को नज़र अंदाज करनी पडे, उनका भंग करना पडे या अन्य जो कुछ करना पडे वह सब गौण करके उनकी उपरोक्त गतिविधियों में हमारे नीति-नियमों द्वारा हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, उसका ध्यान हमें रखना होगा ।

एक तरफ श्वेतांबर मूर्तिपूजक जैन संघ के प्रतिनिधि के तौर पर उच्च न्यायालय में हाज़िर हुआ जाता है और दूसरी तरफ जैन धर्म के पवित्रतम महातीर्थ, परापूर्व से जैन धर्म के संपूर्ण वर्चस्व-अधिकार के तले चले आ रहे है महातीर्थ पर भी जैन धर्म की अमान्य प्रवृत्तियों को जैन तीर्थों की परम्परा या जैनों के सौजन्य के रूप में स्वीकार लिया जाता है ।

Education Book Centre, 133, Gala Complex, Din Dayal Upadhyay Road, Mulund (W), Mumbai 80, Ind
Whatsapp No.: +91 99300 11400 | Email: info@jyot.in

यदि उपरोक्त बातें हमें मंजूर हो तो हमारे महातीर्थों पर जब हमारे धर्म की मर्यादा अनुसार अनुचित गिनी जाने वाली हिंदू मंदिरों का निर्माण आदि प्रवृत्तियाँ होने लगेगी तो उन्हें रोकने हेतु क्या पूरी ताकत से आवाज़ उठा पाएंगे? विपक्ष जब हमारे ही दिए हुए मुद्दे को आगे रखेगा तब हम क्या जवाब दे पाएंगे ? वे कहेंगे कि आपकी प्रतिनिधि पेढ़ी ऐसा कहती है कि *'आपके तीर्थों पर अजैन मंदिर होने से या वहां उनके योग्य विधि-विधान होने से जैन तीर्थ की मर्यादा टूट नहीं जाती । उलटा, कुछ कारणों से जैन लोग ही अन्य मंदिर आदि बनाए वह आपके तीर्थों की परंपरा है । उन अन्य मंदिरों में पूजा आदि के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को सामग्री उपलब्ध करवानी आपकी पद्धति है तो फिर आपके तीर्थों पर हम हमारे तरीके से हमारे मंदिरों आदि की प्रवृत्ति करें उसमें क्या आपत्ति है ?'* तब मुँह बंद करने के सिवाय हमारे पास क्या अन्य कोई रास्ता बचा होगा ? यह एक भयावह प्रश्न है ।

(3) इसी सन्दर्भ में पेढ़ी आगे बढते हुए एफिडेविट में अनुच्छेद नं. 27.13 में बताती है कि शत्रुंजय तीर्थ पर मौजूद अन्य धर्म के स्थानों को आणंदजी कल्याणजी पेढ़ी पूरे आदर-सम्मान के साथ, उनके रीति-रिवाज के मुताबिक हमेशा संभालती-संजोती आयी है ।

पेढ़ी के एक अन्य मौखिक बयान का भी उल्लेख फैसले के अनुच्छेद नं. 10 में किया गया है । प्राचीन समय से शत्रुंजय तीर्थ पर अनेक जैन मंदिर है फिर उसी अनुच्छेद में पेढ़ी कहती है कि उतने ही समय से कुछ अजैन मंदिर भी शत्रुंजय तीर्थ पर मौजूद है । ऐसे अजैन धर्मस्थानो में सूरजकुंड के पास स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर और अंगारशा पीर की दरगाह का समावेश होता है ।

इसका सीधा अर्थ यह होता है कि प्राचीन काल से शत्रुंजय महातीर्थ पूर्ण रूप से जैन महातीर्थ नहीं है, बल्कि अन्य धर्म का भी उपासना स्थान है, ऐसा पेढ़ी कह रही है । प्राचीन जैन शास्त्रों में जहाँ-जहाँ शत्रुंजय महातीर्थ का वर्णन है वहां की एक-एक पंक्ति पढ़ी जाएं तो भी कही पर ऐसा संकेत नहीं मिलता कि यह महातीर्थ अन्य धर्म का भी उपासना स्थान है । ऐसे ही उल्लेख प्राप्त होंगे कि पूरा पर्वत जैन धर्म का सर्वश्रेष्ठ उपासना स्थल है । 400 वर्ष पुराने इतिहास पर भी नज़र डालेंगे तो भी यह स्पष्ट होगा कि अकबर राजा द्वारा दिए गए फरमान में शत्रुंजय पर्वत को श्वेतांबर जैनों का ही तीर्थ कहा गया है । फिर भी यहां श्वेतांबर जैन संघ की (एकमात्र प्रतिनिधि कहलाती) पेढ़ी ऐसा कहना चाहती है कि इस महातीर्थ पर परापूर्व से अन्य धर्म के भी मंदिर है याने शत्रुंजय संपूर्ण रूप से जैन तीर्थ नहीं है । और अदालत में पेढ़ी द्वारा दिए गए मौखिक बयानों से यहां तक अर्थ निकलता है कि शत्रुंजय पर जैन मंदिर जितने प्राचीन है उतने ही अजैन मंदिर प्राचीन है !!!

हमारे इस तीर्थ पर संप्रति महाराजा द्वारा निर्मित जैन मंदिर है यानि करीब 2300 वर्ष पूर्व हो चुके महाश्रावक द्वारा निर्मित किया गया जैन मंदिर है । करीब 900 वर्ष पूर्व हो चुके कुमारपाल महाराजा तथा उदयन मंत्री, वस्तुपाल-तेजपाल आदि द्वारा निर्मित जैन मंदिर भी है । तो क्या 2300 वर्ष पूर्व अजैन मंदिर उस तीर्थ पर निर्मित

Education Book Centre, 133, Gala Complex, Din Dayal Upadhyay Road, Mulund (W), Mumbai 80, Ind
Whatsapp No.: +91 99300 11400 | Email: info@jyot.in

हुए थे ? क्या कुमारपाल महाराजा के समय जैन महातीर्थ पर अजैन मंदिर थे ? उसके कोई सबूत हैं ? फिर भी सामने से ऐसे मुद्दे अदालत में जैन संघ के नाम से दाखिल कर देना क्या योग्य है ? इस प्रकार लिखकर या बोलकर तीर्थ पर अमान्य प्रवृत्तियों को क्यों समर्थन दिया जाता है ? इस प्रकार के अनावश्यक बयान भविष्य में जैन संघ के लिए बंधनकर्ता बने, नुकसानकर्ता बने - वैसी संभावनाओं का कोई विचार किया गया हो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा ।

पेढ़ी जब ऐसे आत्मघाती बयान बेझिझक तरीके से कर रही है तब कलिकाल सर्वज्ञ श्री हेमचंद्रसूरिजी महाराजा एवं सिद्धराज जयसिंह की घटना याद आती है जिसका उल्लेख कुमारपाल देव प्रबंध के परिच्छेद क्रमांक 20 में किया गया है ।

उसमें ठोस प्रमाणों के अनुसार कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्रसूरिजी एवं सिद्धराज जयसिंह के समय में श्री शत्रुंजय और गिरनार तीर्थ जैन स्थानों के रूप में ही लोगों में प्रसिद्ध थे और दोनों तीर्थों पर अन्य धर्म का एक भी मंदिर नहीं था ।

इसीलिए शिव के परम भक्त के तौर पर गुजरात के राजा सिद्धराज जयसिंह ने शत्रुंजय और गिरनार पर जब महादेव का मंदिर बनवाने की इच्छा कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्रसूरिजी के समक्ष व्यक्त की तो जवाब में आचार्य भगवंत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि – हे राजन् ! ये दोनों क्षेत्र सिद्धक्षेत्र है । वहाँ सिद्ध के अलावा किसी की भी स्थापना करना राज्य के क्षय का कारण है । अत: सिद्ध के अलावा किसी की भी स्थापना करना उचित नहीं है ।

उसी के प्रभाव से सिद्धराज के समय से लेकर ग्रंथकार के समय तक यानि सदियों तक अन्य धर्म के स्थान गिरिराज पर नहीं बने थे – ऐसा ग्रंथकार के वर्णन से सिद्ध होता है ।

यह पूरी घटना पेढ़ी द्वारा उठाए गए अजैन मंदिर संबंधी मुद्दों का करारा जवाब देती है, जिसमें कहा गया है कि शत्रुंजय-गिरनार जैन स्थान है, अजैन स्थान नहीं है और उसके ऊपर अन्य मंदिर नहीं है। अत: '*जैन मंदिर जितने ही अजैन मंदिर भी प्राचीन है*' वाला मुद्दा स्वत: उड़ जाता है ।

यदि उस समय से अजैन मंदिर नहीं है तो ऐसी बात का भी कोई वजूद नहीं रहता कि जैनों ने खुद के खर्च से वे मंदिर बनवाए है । अंत में हेमचन्द्रसूरिजी महाराजा ने तीर्थ की मर्यादा बताते हुए जो कहा है कि सिद्धक्षेत्र में सिद्ध के अलावा अन्य किसी की स्थापना नहीं की जा सकती, उससे तो उपरोक्त चर्चाओं पर पूर्ण विराम लग जाता है । यदि सिद्धभूमि में सिद्ध के अलावा किसी की स्थापना ही नहीं की जा सकती तो अजैन मंदिर बनाने की प्रवृत्ति जैन शास्त्रों को कैसे मान्य गिनी जा सकती है ? और यदि शास्त्र मान्य न हो तो प्राचीन काल से अजैन मंदिर गिरिराज पर थे – ऐसा कैसे कहा जा सकता है ?

खैर, हम सभी ऐसी शुभ भावना रखते हैं कि हेमचन्द्रसूरीश्वरजी महाराजा द्वारा दर्शाई गई मर्यादा का समस्त जैन संघ में अच्छी तरह से अमल हो ।

Education Book Centre, 133, Gala Complex, Din Dayal Upadhyay Road, Mulund (W), Mumbai 80, Ind
Whatsapp No.: +91 99300 11400 | Email: info@jyot.in

(4) पेढ़ी के एफिडेविट में एक और गंभीर मुद्दा रखा गया है । अनुच्छेद नं. 24 में लिखा गया है कि *'हिंदुइज़म भारतीय संस्कृति है । उसमें जैन धर्म का समावेश होता है ।'* पहले पेढ़ी खुद ऐसा समीकरण बनाती है कि हिंदुइज़म याने भारतीय संस्कृति और फिर उसके एक अंग के रूप में जैन धर्म को बिठा देती है । भला ! संस्कृति के अंग के रूप में धर्म की स्थापना कब और किसने की ? महाराजा श्री ऋषभदेव ने गृहस्थ अवस्था में संस्कृति का उपदेश दिया था । वह भी सर्वांगीण रूप से । यदि धर्म का समावेश संस्कृति में ही हो जाता हो तो भगवान ने गृहस्थ अवस्था में ही धर्म का उपदेश दिया - ऐसा कहना पडेगा, जो जैन शास्त्रों के बिल्कुल विरुद्ध है । क्योंकि केवलज्ञान के पूर्व भगवान धर्म का उपदेश नहीं देते और इसीलिए ऋषभदेव की दीक्षा के बाद लोग धर्म से अनजान, अज्ञानी होने के कारण सुपात्रदान आदि की विधि नहीं जानते थे । धर्म का उपदेश तो ऋषभदेव आदि तीर्थंकरों ने केवलज्ञान की प्राप्ति के बाद दिया है । यहां धर्म और संस्कृति की भेदरेखा स्पष्ट रूप से समझने की ज़रूरत है । संस्कृति तो आर्यदेश के सामाजिक संस्कार है जबकि जैन धर्म तो संपूर्ण ज्ञानियों द्वारा बताया गया आत्मकल्याणलक्षी मार्ग है । उसका संस्कृति में समावेश किसी प्रकार नहीं किया जा सकता ।

फिर भी यहां पर पेढ़ी ने ऐसा धमाका किया है कि जिसके कारण भविष्य में जैन धर्म की स्वतंत्र धर्म के तौर की अस्मिता पर जोखिम खडा हो जाएँ । वैसे तो पेढ़ी श्वेतांबर मूर्तिपूजक जैनों की प्रतिनिधि होने का दावा बार बार करती है फिर भी जैन धर्म संबंधी बुनियादी समझ में भी इतनी बडी गडबड की है कि जिसके कारण जैन धर्म स्वतंत्र धर्म नहीं है लेकिन संस्कृति का ही एक हिस्सा है - ऐसा अर्थघटन जैन धर्म की अग्रणी संस्था के नाम से ही हो जाएँ और जब ऐसी आपत्ति आ जाएँ तब सिर्फ पेढ़ी नहीं बल्कि समस्त जैन संघ हमेशा के लिए बुरी तरह से बंधन में फंस जाएँ... जैन धर्म हिन्दू संस्कृति में विलीन हो जाएँ... आदि अकल्पनीय नुकसान भुगतने पड सकते हैं।

उपरोक्त एफिडेविट में और पेढ़ी द्वारा दिए गए बयानों में ऐसे विस्फोटक मुद्दों की भरमार है । कब कहां से धमाका हो जाएँ कहा नहीं जा सकता । हमारे तीर्थंकर शत्रुंजय पर क्यों पधारे थे, शत्रुंजय पर अजैन मंदिर किसने बनवाएं, किसके खर्च से बनवाएँ, पेढ़ी द्वारा अजैन मंदिरों की प्रवृत्तियों को बेरोकटोक स्वीकृति दी जानी, अजैन मंदिर तीर्थ पर कब से है, जैन धर्म का हिंदू धर्म के साथ क्या संबंध है आदि प्रस्तुत मामले के लिए बिल्कुल अनावश्यक खुलासे सामने से देकर पेढ़ी ने ऐसे बयानों के बंधन खडे कर दिए है जिससे हमारे अधिकारों का सूपडा साफ हो जाएँ ।

(5) अंत में पेढ़ी के एफिडेविट सम्बंधी एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा ध्यान आकर्षित करता है । उपरोक्त एफिडेविट में पेढ़ी ने ऐसा दावा करने का एक भी मौका नहीं छोडा है कि श्वेताम्बर मूर्तिपूजक जैन संघ की वह एक मात्र प्रतिनिधि संस्था है । और तो और उसने ऐसे कानूनी प्रयत्न चालु रखे है जिससे उसका दावा और अधिक मजबूत हो । जिनशासन की पवित्र परंपरा ऐसी है कि जैनों का प्रतिनिधित्व श्रमण प्रधान चतुर्विध संघ ही कर सकता है । मात्र

Education Book Centre, 133, Gala Complex, Din Dayal Upadhyay Road, Mulund (W), Mumbai 80, Ind
Whatsapp No.: +91 99300 11400 | Email: info@jyot.in

श्रावकों का समुदाय नहीं कर सकता । आणंदजी कल्याणजी पेढ़ी का दावा समग्र संघ के प्रतिनिधि होने का है परंतु उसकी संघ की परिभाषा में मात्र श्रावकों का ही समावेश होता है । उसने अधिकृत रूप से श्रमणों का प्रतिनिधित्व प्राप्त ही नहीं किया है तो भी श्रीसंघ का प्रतिनिधित्व श्रमण प्रधान चतुर्विध संघ में पुनः प्रस्थापित करने की पेढ़ी की कोई तैयारी दिख नहीं रही जो जैन संघ के भविष्य के लिए अत्यंत नुकसान दायक है ।

और तो और, पेढ़ी ने अपने एफिडेविट में और पेश किए गए प्रमाणों में भी जगह जगह खुद के प्रतिनिधित्व का ऐसा वर्णन किया है जिसके कारण अदालत के फैसले में भी उसके प्रतिनिधित्व का उल्लेख किया गया है ।

फैसले में अनुच्छेद नं. 23 में उपरोक्त बात ज़रा विस्तृत रूप से कही गई है । उसमें शांतिदास सेठ को महत्त्व देते हुए इतिहास का वर्णन करते हुए यह कहा गया है कि शांतिदास सेठ को पालीतणा गाँव इनाम के तौर पर दिया गया था । इसके बाद सन् 1730 से पेढ़ी जैनों के सभी पक्षों की ओर से श्री शत्रुंजय एवं अन्य तीर्थों का भी प्रबंधन करती है । इस तरह कहते हुए सकल संघ की प्रतिनिधि संस्था के तौर पर पेढ़ी का उल्लेख किया गया है ।

वास्तव में भूतकाल में अन्य न्यायालय द्वारा पेढ़ी का श्री संघ के प्रतिनिधि के तौर का दावा नकार दिया गया था । फिर भी पेढ़ी द्वारा उसे स्थापित करने का प्रयत्न दिखाई दे रहा है ।

अब उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये फैसले का जैन संघ के लिए चिन्ताजनक निष्कर्ष तथा इस फैसले के अन्तर्गत पेश किए गये ऐतिहासिक दस्तावेज़ और उसमें से फलित होनेवाला जैन संघ के प्रतिनिधित्व का ढ़ांचा - इन दोनों विषयों का विश्लेषण करके सकल श्री संघ के समक्ष रखने की भावना है जो जल्द ही प्रगट करने का प्रयत्न करूंगा ।

धर्मलाभ

हस्ताक्षर

[ग. आ. वि. यूगभूषणसूरि]

NOTE : I, Gacchadhipati of Mohjit Samuday Chaturvidh Sangh (within Tapagaccha), on behalf of our Sangh, by virtue of my Declaration dated 17th December 2020, do hereby declare that the admissions of AKT as stated in this Nivedan are either contradictory to the facts or to the scriptures, and further I declare in the interest of Chaturvidh Sangh that such admissions do not represent our views, opinions, statements, assertions, intentions or our position in respect of Shri Shatrunjay Maha Tirth / and other Jain Tirths or Jain religion at large.

Education Book Centre, 133, Gala Complex, Din Dayal Upadhyay Road, Mulund (W), Mumbai 80, Ind
Whatsapp No.: +91 99300 11400 | Email: info@jyot.in